न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(40)

R-3531/II/16 - सीधी

गजेन्द्र सिंह तनय स्व0 शहीद श्यामलाल सिंह उम्र– 54 वर्ष, निवासी ग्राम– गोरियरा (करौंदिया टोला), तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ———————— आवेदक

बनाम

1. कैलाश सिंह तनय शंकर सिंह बाघेल,
2. उमा प्रताप सिंह तनय शंकर सिंह बाघेल,
   दोनो निवासी ग्राम– मड़रिया, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन ———————— अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 07.X.16 को प्रस्तुत

214
07.10.16

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार गोपदबनास, जिला– सीधी के अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया सीधी, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 13/ए–12/2015–16 आदेश दिनांक– 13.06.2016

7-10-16

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि आवेदक स्व0 शहीद श्यामलाल सिंह का पुत्र है। आवेदक ने पूर्व में पूर्व भूमिस्वामी कृष्णपाल सिंह तनय मकसूदन सिंह चौहान निवासी ग्राम– पड़रा से ग्राम– पड़रा की आराजी खसरा नंबर– 186 रकवा 1.403 है0 का जुज रकवा 0.809 है0 दिनांक– 21.08.1995 में जरिये पंजीकृत बिक्रीनामा के आधार पर क्रय कर स्वत्व आधिपत्य प्राप्त किया था।

2. यह कि उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् आवेदक द्वारा नक़्शा व भूमि तर्मीम कराकर आराजी खसरा नंबर– 186 का जुज रकवा परिवर्तित नंबर– 186/8 को

XXIX(a)-BR(H)-11

(68)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3531-पी/16 जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13-6-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को कलेक्टर सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	